"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल 2016— चैत्र 18, शक 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-16/सीएफडी/2016/नौ/17-दो. — औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) की धारा 33 एफ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा डॉ. एन. एस. चौहान, एम. फार्मा, पी. एच. डी. (औषधि विज्ञान), वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-दो को राज्य ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये राज्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 25-16/सीएफडी/2016/नौ/17-दो. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th April 2016

NOTIFICATION

No. F 25-16/CFD/2016/9/17-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33 F of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints Dr. N. S. Chauhan, M. Pharma, Ph. D. (Pharmaceutical Sciences), Senior Scientific Officer Grade-II as State Analyst in State Drug Testing Laboratory and Anusandhan Kendra, Raipur for the whole State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.